# न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : ...../2015

निगरानी 1392-PBR-15

उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वयस्क
आत्मज डॉ. बी. डी. शास्त्री
निवासी डी–3/99, न्यू मिनाल रेसीडेंसी,
जे. के. रोड, भोपाल ..... प्रार्थी

विरूद्ध

01. इकबाल मोहम्मद वयस्क
आत्मज स्व. रशीद मोहम्मद

02. श्रीमती नज़मा बी वयस्क
पत्नि इक़बाल मोहम्मद
निवासीगण –49, कच्ची मस्जिद,
कबीटपुरा, शाहजहांनाबाद, भोपाल

श्री ... द्वारा आज दि ... को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

03. पिताम्बर लाल राजदेव, वयस्क
आत्मज स्व. श्री सुंदरलाल

04. श्रीमती विद्यावती, वयस्क
पत्नि स्व. श्री सुंदरलाल
निवासीगण सुंदर वन नर्सरी,
हलालपुरा, इन्दौर रोड, भोपाल ..... प्रतिप्रार्थीगण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक निगरानी 1392–पीबीआर/15** जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10.06.2015 | आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । निगरानी ग्राह्य की जाती है । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–05–2015 को पारित स्थगन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, अतः इस निगरानी में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–10–2012 को स्थगित कर मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश आवेदक सहित अनावेदक कमांक 3 एवं 4 को देने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है अथवा नहीं ? अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–10–2012 को स्थगित कर मौके पर आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश आवेदक सहित अनावेदक कमांक 3 एवं 4 को दिये गये हैं । विधि के प्रावधानों के अनुरूप अनुविभागीय अधिकारी को या तो तहसीलदार के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित करना था अथवा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने थे, दो प्रकार का स्थगन दिया जाना उचित प्रकिया नहीं है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से प्रथमदृष्टया निरस्त किये जाने योग्य हैं। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे 3 माह में उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का आवश्यक रूप से निराकरण करें । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।<br>अध्यक्ष | |